महत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या- 9/2017/1130/29-6-2017-104सा/09टीसी-(10)

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 13 जून, 2017

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों के लाभार्थियों के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-7/2017/631/29-6-2017'104सा/09टीसी,दिनांक 27 अप्रैल, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों के लाभार्थियों की सूची को एक बार विस्तृत रूप से सत्यापन कराते हुए त्रुटिरहित सूची तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये थे एवं इस हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया था। उक्त कार्यक्रम के अनुसार टीमों द्वारा घर-घर जाकर सूची का एक्सक्लूजन एवं इनक्लूजन क्राइटेरिया के अनुसार सत्यापन करते हुए अपात्रों को हटाने एवं पात्रों को चयन करने की कार्यवाही की जानी थी, किन्तु अब तक उक्तकार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है तथा कई जनपदों की प्रगति शून्य प्राप्त हुई है। यह स्थिति अन्यन्त खेदजनक है।

2- शासन के संज्ञान में यह भी तथ्य आया है कि कई जनपदों में लेखपाल, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारियों द्वारा उक्त कार्य का बहिष्कार किया गया है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। राशन कार्ड सत्यापन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है। इस कार्य का बहिष्कार न केवल शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम में लापरवाही बल्कि अनुशासनहीनता का भी परिचायक है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राशन कार्डों का सत्यापन समयबद्ध रूप से रूचिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु समस्त अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को कड़े निर्देश निर्गत करते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने का कष्ट करें तथा यदि उक्तकार्य में किसी [redacted]कर्मचारी द्वारा शिथिलता बरती जाये तो उसके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही भी सुनिश्चित कराने का [redacted]

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-9/2017/1130(1)29-6-2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव राजस्व/ग्राम्य विकास/महिला एवं बाल विकास/पंचायती राज/कृषि/स्थानीय निकाय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को उक्त कार्य में पूर्ण सहयोग देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0,जवाहर भवन, लखनऊ।

3- आयुक्त,ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- निदेशक, पंचायती राज,उ0प्र0 लखनऊ।

5- निदेशक, कृषि विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

6- निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ।

7- नियंत्रक, बॉट-माप विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।

8- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य) उ0प्र0।

9- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,उ0प्र0।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।